

परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

समय : 10:30 बजे तिथि :28.07.2015

आवंटन/नीलामी

स्थल:- कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन)
आफिस काम्पलेक्स (भू-तल), केशवपुरम्, कल्यानपुर, कानपुर।

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	एफ० ए० आर ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
-----------------	--------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				
H/COM-1©	579.20	39424.00	1.20	40%
कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड (02 नग)				
M/CS-1(UNRESERVED)	98.10	35840.00	1.50	60%
M/CS-2©(RESERVED)	98.10	39424.00	1.50	60%
संस्थागत भूखण्ड (02 नग)				
INP-5©	1344.00	29568.00	1.50	35%
G?INS-1	2064.62	26880.00	2.50	35%

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (सेक्टर-ई), कानपुर

शापिंग भूखण्ड (02 नग)				
E/SHOP P-1©(UNRESERVED)	791.19	39424.00	1.20	40%
E/SHOP P-2 (RESERVED)	796.67	35480.00	1.20	40%

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)				
6/COM. 1/3	420.00	29120.00	1.50	55%
6/COM. 1/4	450.00	29120.00	1.50	55%

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)				
SECTOR 1A©	839.12	12100.00	1.50	35%
SECTOR 1B©	1805.00	12100.00	1.50	35%
SECTOR 5G©	834.75	12100.00	1.50	35%
SECTOR 5H©	1627.50	12100.00	1.50	35%

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)

7GH-02	8745.07	16914.00	1.50	40%
7GH-04	7420.44	16914.00	1.50	40%

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)

व्यवसायिक भूखण्ड (12 नग)				
3/C-20	162.00	17920.00	1.20	40%
3/C-27	162.00	17920.00	1.20	40%
3/C-32	200.00	17920.00	1.20	40%
3/C-33	200.00	17920.00	1.20	40%
3/C-35	200.00	17920.00	1.20	40%
3/C-55	200.00	17920.00	1.20	40%
4/C-41	310.80	17920.00	1.20	40%
4/C-44	310.80	17920.00	1.20	40%
4/C-45	310.80	17920.00	1.20	40%
4/C-60	310.80	17920.00	1.20	40%
4/C-62	310.80	17920.00	1.20	40%
4/C-63	310.80	17920.00	1.20	40%

योजना संख्या-1 छिबरामऊ (कन्नौज)

संस्थागत भूखण्ड (01 नग)				
INS-4/101	1287.33	8686.00	1.50	35%

(1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि का संस्था को पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है। (2) उ०प्र० सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा। (3) उ०प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे। (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियामक सन्धि पुरतिका रु० 1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है। (5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू०पी० बोर्ड/सी०बी०एस०ई० बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी। (A) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (B) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु० 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (C) सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (D) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी से दो दिन पूर्व तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सांय 05:00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। (E) आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा। (F) प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (G) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाईट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु० लाख में)	पात्रता
--------------------------	--------------------------	--	---------

केशवपुरम् योजना संख्या-1, (जोन-सी) कानपुर

उच्च आय वर्ग भवन (03 नग)

C-33, C-42, C-43	181.35	43.25	अपंजीकृत
------------------	--------	-------	----------

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर

दुर्बल आय वर्ग भवन (03 नग)

2785, 2986, 3484	36.18 to 37.62	5.10 to 5.70	अपंजीकृत
नोट:- भवन संख्या-2986 के विरुद्ध मा० तृतीय अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग कानपुर नगर में परिवार संख्या-53/2015 विचाराधीन है। मा० न्यायालय का निर्णय परिषद पक्ष में होने पर प्रदेशन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा निर्णय परिषद के विपक्ष में होने पर जमा टोकन धनराशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।			

शैक्षिक भूखण्डों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	वर्तमान भूमि दर+ लीजरेन्ट+कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र०व०मी०	भूखण्ड का मूल्य दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी दर के अनुसार (रुपये में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रुपये में)
----------------------	-------------------------	---	---	--

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)

पीएस सेक्टर-आई	1507.50	19360.00	29185200.00	29185200.00
पीएस सेक्टर-एम	1870.50	19360.00	36212880.00	36212880.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)

भूखण्ड सं०-ए	960.00	15730.00	15100800.00	15100800.00
भूखण्ड सं०-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	38507040.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (06 नग) (लीज पर)

1/पी०एस०	3040.92	15730.00	47833680.00	47833680.00
सेक्टर-7/एनएस-6	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00
सेक्टर-8/पीएस-1	894.00	15730.00	14062620.00	14062620.00
सेक्टर-8/एनएस-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00
सेक्टर-8/एनएस-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00
9/पीएस-3	1507.75	15730.00	23716910.00	23716910.00

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)

सेक्टर-ए एनएस/पीएस	1390.50	12100.00	16825050.00	1682505.00
सेक्टर-1बी एनएस/पीएस	935.45	12100.00	11318945.00	1131895.00
सेक्टर-1बी एनएस/पीएस	1365.00	12100.00	16516500.00	1651650.00
सेक्टर-5जी एनएस	1402.50	12100.00	16970250.00	1697025.00
सेक्टर-5बी एचएस	6960.00	12100.00	84216000.00	8421600.00

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)

6वी पीएस	973.76	9680.00	9425997.00	942600.00
----------	--------	---------	------------	-----------

गणेश बिहार योजना, फतेहपुर

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)

सेक्टर-1, एनएस	708.00	4961.00	3512388.00	3512400.00
----------------	--------	---------	------------	------------

आवास आयुक्त

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें 0522-2236803, (टोल फ्री-1800-180-5333)

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सेवेात्मक प्रमाणित संस्था

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

